कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–2254/11–सी–FP/UP/Pipeline/143751/2021, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 05 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झांसी।

विषयः– जनपद–झांसी में अदानी टोटल गैस लि0, झांसी द्वारा 200mm Dia कार्बन स्टील पाईप लाइन बिछाने हेतु झांसी–शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–27 के किमी0 सं0–86 से 93.500 (कुल 7.500 किमी0) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं झांसी–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–44 के किमी सं0–6.500 से 18.200 (कुल 11.700 किमी0) तक प्रभावित 0.351 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल प्रभावित 0.636 हे0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–340/81–2–2022–800(340)/2022, दिनांक 28.10.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–1508/11–सी–FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक 28.10.2022 एवं आपका पत्रांक–1742/33–1, दिनांक 26.12.2022

महोदय,

उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26.12.2022 के द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 05.01.2023 को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का अभाव पाया गया हैः–

1. उ0प्र0 शासन के बिन्दु सं0–6 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पाइप लाइन के बिछाये जाने में 0.576 हे0 आरक्षित वनभूमि जिसका भू–स्वामित्व एन0एच0 है, जोकि त्रुटिपूर्ण है क्योकि प्रकरण में 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा 0.06 हे0 आरक्षित वनभूमि का स्वामित्व एन0एच0 दर्शाया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है क्योकि आरक्षित वनभूमि का स्वामित्व एन0एच0 का नहीं हो सकता है। अतः वनभूमि की सही कानूनी स्थिति एवं भू–स्वामित्व अंकित करें।
2. उ0प्र0 शासन के बिन्दु सं0–8 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा लीज अवधि प्रमाण पत्र में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की वचनबद्धता उपलब्ध करायी गयी है, किन्तु ऑनलाइन पार्ट–1 के A-1(x) में 99 वर्ष ही अंकित है। अतः ऑनलाइन पार्ट–1 के A-1(x) में 30 वर्ष फीड करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर उ0प्र0 शासन द्वारा की गयी आपत्तियों का पूर्ण संशोधित बिन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2254 /11–सी–FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
2. उप प्रबन्धक, अदानी टोटल गैस लि0, झांसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-17